WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Top Tax Payers in the Country

*26. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of Income tax payers in the country acqording; to the latest information available who have declared their annual in come to be more than Rs. 5 lakh but less than Rs. 10 lakh and Rs. 10 lakh and more; and

(b) what is the amount due as Income tax from these two groups of tax payers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR); (a) According to the latest compiled information there were 15894 tax payers in India of income exceeding Rs. 5 lakhs but less than Rs. 10 lakhs and 8692 tax payers of income exceeding Rs. 10 lakhs as on 31.3.1990.

(b) Under the provisions of the Income-tax Act, tax is required to be paid by way of advance tax and self-assessment tax after taking into account the tax deducted at source. Information is not separately compiled regarding the tax due and payable by the tax payers whose income exceeded Rs. 5 lakhs and Rs. 10 lakhs respectively. According to the latest compiled information as of 31.12.1990, there were 4627 cases where outstanding demand exceeded Rs 10 lakhs, the aggregate demand amounting to Rs. 3855.15 crores.

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा योजना में कार्यरत केन्द्रीय सरकार की स्थाओं की संख्या

*27. श्री सत्य प्रकाश मालवीय क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय केन्द्रीय सरकार की कितनी संस्थाएं प्रौढ़ शिक्षा योजना में कार्यरत हैं ;

(ख) इन संस्थाओं को प्रति वर्ष उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इनके कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के लिये केन्द्र सरकार का कोई संस्थान नहीं है । ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 15–35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिये 31–3–1991 को स्थिति के अनुसार 66,994 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत बताये गये थे ।

(ख) राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान एक निर्धारित वित्तीय ढांचे के अन्तर्गत मंजूर किया जाता है । वर्ष 1990–91 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा राज्य की स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता की राशि 749.33 लाख रुपये थी । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिये लगभग 475.00 लाख रुपये भी खर्च किए ।

(ग) इस कार्यक्रम की कमियों का पता लगाने के लिये इसकी निरन्तर समीक्षा की जा रही है और जहां भी आवश्यक समझा जाता है वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रौढ़ शिक्षा के लिये केन्द्र आधारित दृष्टिकोण के अन्तर्गत परियोजना की रूपरेखा को पुनर्गठित किया गया है । अब इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि एक निश्चित समय ढांचे के

भीतर पूर्ण साक्षरता के लिये क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाय और परियोजनाओं के आकार को छोटा बनाया जाय ताकि उन पर प्रभावी ढंग से निगाह रखी जा सके और पर्यवेक्षण किया जा सके, उन्हें लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाया जा सके । चालू वित्तीय वर्ष से संशोधित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

पेट्रोल की बचत के संबंध में हिदायतें

*28. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वाहनों से पेट्रोल की खपत और बचत के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये है; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सरकारी वाहनों में पेट्रोल/डीजल की खपत तथा उसमें बचत किये जाने के बारे में निम्नलिखित मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं:-

(i) सभी मंत्रालयों/विभागों को जून, 1990 में अनुदेश जारी किये गये थे कि 1990-91 से आगे, स्टाफ कारों सहित सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत में 1989-90 के दौरान की पेट्रोल और डीजल की खपत से 20% की कमी की जाय । इन अनुदेशों को अप्रैल, 1991 में दोहराया गया था । हाल ही की पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के बाद, सभी मंत्रालयों/विभागों को 1-8-1991 को और अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि 1991-92 के दौरान पेट्रोल/डीजल पर होने वाले व्यय को 1989-90 के दौरान के पेट्रोल/डीजल की उस मात्रा पर होने वाले व्यय तक सीमित कर दिया जायेगा जो 1989-90 के दौरान पेट्रोल/डीजल की खपत पर 20% की कटौती करके नियत किया गया था ।

(ii) 22 अगस्त, 1990 को अनुदेश जारी किये गये थे कि सरकारी वाहनों को, ऐसी स्थिति को छोड़कर जबकि उन्हें आपत्काल तथा अन्य अपरिहार्य प्रचालनात्मक ड्यूटियों पर लगाया गया हो, और स्टाफ कारों को रविवारों को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

(iii) पूलिंग व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुये जनवरी, 1991 में सभी मंत्रालयों विभागों को अनुदेश जारी किये गये थे कि अधिकारी कार्यालय और निवास के बीच की तथा बैठकों में शामिल होने के लिये यात्राओं के दौरान अलग-अलग कारों में यात्रा करने के बजाय जहां तक संभव हो एक ही कार में यात्रा करें ।

(ख) मंत्रालयों/विभागों को सरकारी वाहनों द्वारा पेट्रोल/डीजल की खपत के बारे में सूचना निर्धारित फार्मेट में भेजनी अपेक्षित है ? 24 सरकारी विभागों में प्राप्त पूर्ण सूचना पेट्रोल के संबंध में